

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उर सेवा का नाम, जिसमें वह हो २५ अक्षर 2. वर्तमान धारित पर 1. 11.2022

3. वर्तमान वेतन 29,700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 31.10.2018

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें रूपरिति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे | | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, वंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति | |
|---|---------------------------|------|--|---|--------------------------|-----------|-----|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| तह झुंजर जिला सोपल | गृह | — | 8,00,000/- | राम बख्श सिंह | पेयूठ सम्पत्ति विरासत | निल | निल |

* जहां लाना न हो कोट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य अंदाजा जाए।

*** इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक स्तर से यह अवैधित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय यह श्रेणी-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाग्रिब की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम राधाकांत

पद डिप्टी

विभाग कांसादि उपमहाविद्यालय अजोध्या

गोपाल (म.5.)